Bureau of Indian Standards
(HALLMARKING DEPARTMENT)

Our Ref.: HMD/14:14 13-12-2016

Sub: Implementation of Revised IS 1417:2016 superseding IS 1417:1999

IS 1417**:**1999 has been revised as IS 1417:2016 "GOLD AND GOLD ALLOYS, JEWELLERY/ARETFACTS– FINENESS AND MARKING" (Fourth Revision).

2. In the fourth revision, the following changes have been made:

(i) Bullion and coin have been defined and included in the scope of the standard. Grades of Fine gold (999) and Standard gold (995) used for manufacture of bullion and coins have been specified.

(ii) The grades of fineness 958(23K), 875(21K), 833(20K), 791(19K), 708(17K), 666(16K) and 375(9K) have been deleted.

(iii) Maximum permissible limits of Cadmium and each of Platinum group metals are specified in clause 4.1.1 b).

(iv) A new clause 5.6 for retesting (Testing of hallmarked jewellery/artefacts) has been added giving a provision of negative tolerance of maximum 2ppt **on retesting** of hallmarked jewellery/artefact. **It may be noted that while hallmarking by the centre, no negative tolerance shall be allowed on the gold content of jewellery/artefacts as per clause 5.5, as was earlier.**

(v) Requirement of "Year of marking by a letter symbol" on hallmarked jewellery/artefacts has been deleted in the revised standard.

3. As per the modified marking clause 6.1 a), the hallmarked jewellery/artefacts shall carry the following four markings only:

i) BIS Standard Mark;

ii) Purity in carat and fineness

iii) Assay centre's identification mark / number ; and

iv) Jeweller's identification mark / number

4. The standard has been gazette notified by Publication department with date of establishment of IS 1417:2016 as 01 January 2017 superseding IS 1417:1999.

5. As, it has been decided to implement IS 1417:2016 with effect from 1 January 2017 all A&H Centres shall mark the gold jewellery/artefacts to be hallmarked with four marks only from 01 January 2017 in the sequence defined above & purity shall be marked both in carat and fineness **depending on the grade** as given below:

a) **22K916 or**
b) **18K750 or**
c) **14K585**

6. RO/BOs are requested to inform all BIS licensees as per IS 1417 and all BIS recognized Assaying & Hallmarking Centers about the changes and implementation of IS 1417:2016. Endorsement to the BIS licence for revised IS 1417:2016 may be issued by BOs.

(Inderjeet Singh)
Sc. B (HMD)

Head (HMD)

All ROs & all Regional Hallmarking Coordinators, to inform all AHCs

All BOs for information & to inform all licensee jewellers

Cc: All DDGRs

ITS- with a request to host the circular on BIS intranet

भारतीय मानक ब्यूरो

(हॉलमार्किंग विभाग)

हमारा संदर्भ : एचएमडी/14:14 13.12.2016

विषय : आईएस 1417 : 1999 का अधिक्रमण करते हुए पुनरीक्षित आईएस 1417 : 2016 का कार्यान्वयन

आईएस 1417 : 1999 को आईएस 1417 : 2016 'स्वर्णएवं स्वर्णमिश्र धातु आभूषण/ शिल्प वस्तुओं की परिशुद्धता एवं मुहरांकन (चौथा पुनरीक्षण) के रूप में पुनरीक्षित किया गया है।

2. चौथे पुनरीक्षण में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

(i) बुलियन एवं सिक्कों को परिचालित किया गया है और इसे मानक के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है । बुलियन एवं सिक्कों के निर्माण में प्रयुक्त शुद्ध स्वर्ण (999) एवं मानक स्वर्ण (995) के ग्रेड निर्दिष्ट किए गए हैं ।

(ii) परिशुद्धता ग्रेड 958(23कैरेट), 875(21कैरेट), 833(20कैरेट), 791(19कैरेट), 708(17कैरेट), 666(16कैरेट) एवं 375(9कैरेट) को हटाया गया है ।

(iii) कैडमियम एवं प्लेटिनम समूह की धातुओं में से प्रत्येक की अनुमत अधिकतम सीमा खंड 4.1.1 ख) में निर्दिष्ट की गई है ।

(iv) पुन: परीक्षण हेतु एक नया खंड 5.6 (हॉलमार्क लगे आभूषण/ शिल्प वस्तुओं का परीक्षण हॉलमार्क लगे आभूषण/शिल्प वस्तुओं के पुनरीक्षण हेतु अधिकतम 2 पीपीटी की ऋणात्मक छूट का प्रावधान करते हुए जोड़ा गया है । यह ध्यान दिया जाए कि हॉलमार्क के द्वारा हॉलमार्किंग करते समय खंड 5.5 के अनुसार आभूषण/शिल्प वस्तुओं की स्वर्ण मात्रा पर किसी प्रकार की ऋणात्मक छूट, की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(v) हॉलमार्क किए गए आभूषण/शिल्प वस्तुओं पर 'एक अल्फावेट द्वारा दर्शाये गए मुहरांकन वर्ष' की अपेक्षा को पुनरीक्षित मानक से हटाया गया है ।

3. संशोधित मुहरांकन के अनुसार हॉलमार्क वस्तुओं पर निम्नलिखित केवल चार मुहरांकन लगाये जायेंगे :

(i) भामाब्यूरो मानक मुहर

(ii) कैरेट एवं परिशुद्धता में शुद्धता

(iii) एसेइंग केन्द्र की पहचान मुहर/नम्बर; एवं

(iv) सुनार पहचान मुहर/नम्बर

4. आईएस 1417 : 1999 का अधिक्रमण करते हुए 01 जनवरी 2017 को आईएस 1417 : 2016 की स्थापना की तिथि से प्रकाशन विभाग द्वारा मानक को राजपत्र में अधिसूचित कराया गया है ।

5. चूंकि सभी एएंडएच केन्द्र 01 जनवरी 2017 से आईएस 1417 : 2016 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है । अत: उपरोक्त परिभाषित श्रृंखला एवं शुद्धता में 01 जनवरी 2017 से ही चारों मुहरों के साथ हॉलमार्क किए जाने वाले आभूषण/शिल्पवस्तुओं को सभी एएंडएच केन्द्र मुहरांकित करेंगे । निम्नलिखित ग्रेडों पर आधारित कैरेट एवं शुद्धता दोनों को मुहरांकित किया जायेगा :

क) 22K916 या

ख) 18K750 या

ग) 14K585

6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखाकार्यालय आईएस 1417 के अनुसार सभी भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंसधारकों को एवं आईएस 1417 : 2016 के बदलावों एवं कार्यान्वयन के बारे में सभी भारतीय मानक ब्यूरो मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है । पुनरीक्षित आईएस 1417 : 2016 के भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस पृष्ठांकन शाखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाएँ ।

(इन्द्रजीत सिंह)
वैज्ञा बी (एचएमडी)

<u>प्रमुख (एचएमडी)</u>

सभी एएचसी को सूचित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालय/सभी क्षेत्रीय हॉलमार्किंग समन्वयकों

सभी शाखा कार्यालयों को जानकारी हेतु एवं सभी लाइसेंसधारक सुनारों को सूचित करने के लिए

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपमहानिदेशक

आईटीएस- बीआईएस इंट्रानेट पर इस परिपत्र को होस्ट करने के अनुरोध सहित ।